प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांकः- 23.12.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.12.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	अफजलगढ	राजू पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम आलमपुर गांवडी थाना अफजलगढ, बिजनौर
2	चांदपुर	धर्मेन्द्र पुत्र रंजीत सिंह निवासी सराय रफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3	चांदपुर	चन्द्रपाल पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी सुल्तानपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4	नूरपुर	अफजाल पुत्र घसीटा नि0 ग्राम आजमपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5	किरतपुर	गुलाम अहमद पुत्र मौ0 साबिर निवासी मौ0 चाहरौनक कस्बा व थाना किरतपुर, बिजनौर
6	रेहड	भगवन्त सिंह पुत्र बक्शीश सिंह निवासी ग्राम खैराबाद थाना रेहड जनपद बिजनौर
7	शिवाला कलां	राजेन्द्र सिंह पुत्र जगरु सिंह नि0 हुसैनपुर थाना शिवाला कला, बिजनौर

थाना अफजलगढ़

थाना चांदपुर

थाना नूरपुर

थाना किरतपुर

थाना रेहड

थाना शिवाला कलां

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 23.12.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1138/2024 धारा 140(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को 3,000 /- रुपये की नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.12.2024 को सिने अभिनेता मुश्ताक मौहम्मद खान के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने थाना कोतवाली शहर पर अभिनेता मुश्ताक मौहम्मद खान के अपहरण के सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1138/2024 धारा 140(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया। थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण 1.सार्थक चौधरी उर्फ रिक्की 2.सबीउद्दीन उर्फ सैबी 3.अजीम 4.शशांक कुमार 5- शिवा व 6- आकाश उर्फ गोला उर्फ दीपेन्द्र (25,000/- रुपये का ईनामी) 7. लवी उर्फ सुशान्त उर्फ हिमांशु (25,000/- रुपये का ईनामी) को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 23.12.2024 को थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1138/2024 धारा 140(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अंकित उर्फ पहाडी पुत्र रवि खन्ना निवासी मौ0 शम्भा बाजार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर रोते हुये थाने आया और अपनी गलती मानते हुये थाना कोतवाली शहर पर आत्मसमर्पण किया।

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित उर्फ पहाडी उपरोक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से अभियोग से संबंधित ₹ 3,000 /- बरामद किये गये। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अंकित उर्फ पहाडी पुत्र रवि खन्ना निवासी मौ0 शम्भा बाजार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

₹ 3,000 /- नगदी

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर दिनांक 23.12.2024

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1138/24 धारा 140(2)/317(3) बीएनएस में वांछित व 25,000/- रुपये के इनामी मास्टर माइंड अभियुक्त को पुलिस मुठेभड में अवैध शस्त्र मय कारतूस व नगदी सहित घायल अवस्था में किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.12.2024 को सिने अभिनेता मुश्ताक मौहम्मद खान के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने थाना कोतवाली शहर पर अभिनेता मुश्ताक मौहम्मद खान के अपहरण के संबंध में मु0अ0सं0 1138/24 धारा 140(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण 1- सार्थक चौधरी उर्फ रिक्की 2- सबीउद्दीन उर्फ सैबी 3- अजीम 4- शशांक कुमार 5- शिवा व 6- आकाश उर्फ गोला उर्फ दीपेन्द्र (25,000/- रुपये का ईनामी) को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

उपरोक्त अपहरण की घटना का मुख्य आरोपी व 25,000/- रूपये का ईनामी अभियुक्त लवी उर्फ सुशान्त उर्फ हिमांशु पुत्र स्व0 जयपाल सिंह निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत थी।

पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद बिजनौर द्वारा उक्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 25,000/- रुपये इनाम घोषित किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 22/23.12.2024 की रात्रि में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अपहरण की घटना का मास्टरमाइंड/25,000/- रूपये का ईनामी अभियुक्त लवी उर्फ सुशान्त उर्फ हिमांशु पुत्र स्व0 जयपाल सिंह निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर अपने साथी (मौसेरा भाई) शुभम के साथ मंडावर रोड स्थित जैन फार्म हाउस में ट्यूबवैल पर किसी से मिलने आ रहे है। सूचना पर स्वाट/सर्विलांस व थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो एक अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में उक्त अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा घायल अवस्था मे हिरासत मे लिया गया तथा उपचार हेतु जिला अस्पताल बिजनौर मे भर्ती कराया गया। पुलिस कार्यवाही के दौरान

घायल अभियुक्त का साथी अन्धेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जंगल मे कांबिग की जा रही है। अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर की गई फायरिंग मे एक गोली प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली शहर श्री उदय प्रताप सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जोकि सुरक्षित है।

घायल अभियुक्त ने अपना नाम लवी उर्फ सुशान्त उर्फ हिमांशु पुत्र स्व0 जयपाल सिंह निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर बताया तथा मौके से फरार हुए अपने साथी (मौसेरा भाई) का नाम शुभम पुत्र राकेश निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर बताया। अभियुक्त लवी उपरोक्त के कब्जे से एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर व 35,050/- रूपये की नगदी बरामद की गई। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1166/24 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर पंजीकृत किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

नोटः- अभियुक्त लवी उर्फ सुशान्त उर्फ हिमांशु उपरोक्त पर जनपद मेरठ पुलिस द्वारा भी 25,000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था। उपरोक्त अपहरण की घटना में फरार अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

लवी उर्फ सुशान्त उर्फ हिमांशु पुत्र स्व0 जयपाल सिंह निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगीः-

1. 35,050/- रुपये नगद (संबंधित मु0अ0सं0 1138/2024)
2. एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 1273/14 धारा 379 भादवि व 197 एमवी एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 244/24 धारा 138/140(2)/3(5)/308(2)/308(5) बीएनएस थाना लालकुर्ती मेरठ।
3. मु0अ0सं0 1138/24 धारा 140(2)/317(3) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 1166/24 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम जनपद बिजनौर।
2. स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।